(19)

संख्या–699के / छः–सानिप्र–13 / 15(12)2013

प्रेषक,

आर.एम. श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ,गृह विभाग लखनऊः दिनांक 24 जून, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड में आयी अतिवृष्टि, भूस्खलन व भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में सूचना संकलित करने एवं आवश्यक सहायता कार्य के समन्वय के संबंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड में आयी अतिवृष्टि, भूस्खलन व भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में सूचना संकलित करने एवं आवश्यक सहायता कार्य के समन्वय हेतु गृह विभाग में तात्कालिक प्रभाव से एक सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग के अन्तर्गत साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ को यह दायित्व सौपा गया है तथा श्री अशोक कुमार सिंह, विशेषकार्याधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये गये है। इस प्रकोष्ठ का सम्पर्क सूत्र विवरण निम्नवत है :–

श्री अशोक कुमार सिंह, विशेषकार्याधिकारी।
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
लाल बहादुर शास्त्री भवन, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फैक्स नं.–0522–2238409, 2238407 (व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण श्री ए.के.सिंह)
फोन नं.–0522–2239295, मोबाइल नं. 9454405067
ईमेल– osdsnp@yahoo.com

2. इस प्रकार लापता व्यक्तियों के संबंध में जनपद स्तर पर सूचना संकलन, सत्यापन, समन्वय व सहायता कार्य जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी अपने अधीन कार्यरत 'जिला पारपत्र प्रकोष्ठ' को उत्तरदायी बनायेगे तथा 'जिला पारपत्र प्रकोष्ठ' प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रकोष्ठ का विवरण, फोन / फैक्स / ईमेल सहित आदि का विवरण जनसामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रानिक / प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से तत्काल प्रचारित / प्रसारित करायेंगें और इसे जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करायेगे।

3. साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर लापता व्यक्तियों के सबंध में प्राप्त होने वाली सूचना को संकलित कर, उसका डाटाबेस तैयार करेगा और उसका सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी से करायेगा। किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर इस प्रकोष्ठ द्वारा लापता व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर जानकारी दी जायेगी।

4. गृह विभाग में गठित साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड राज्य से समन्वय का कार्य भी करेगा।

5. जिलाधिकारी राज्य सरकार तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त लापता व्यक्तियों के सबंध में सम्यक रूप से डाटावेस तैयार करायेगे तथा सत्यापित सूचनाओं का विवरण प्रतिदिन आगामी 15 दिन तक उक्त प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेगे।

6. जिलाधिकारी लापता व्यक्तियों की सूची कमागत करते हुए उनका डाटावेस जिलास्तर पर तैयार करायेगे तथा प्रत्येक लापता व्यक्ति को एक पृथक संख्या आवंटित करेगें। प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाने वाली लापता व्यक्तियों की प्रत्येक सूची को पृथक कमांक दिया जायेगा।

7. लापता व्यक्ति के सबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति से निम्न सूचनाएं देने का अनुरोध किया जाय :–

(क) लापता व्यक्ति के सबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, फोन, ईमेल आदि का विवरण।

(ख) लापता व्यक्ति का नाम व पता, पहचान चिन्ह, फोन, ईमेल, फोटोग्राफ यदि कोई हो तो, वोटर आई. डी.ड्राइविंग लाइसेंस आदि का विवरण।

(ग) लापता व्यक्ति से अन्तिम बार सम्पर्क का विवरण स्थान, समय, तिथि, सम्पर्क का माध्यम जैसे फोन, ईमेल, इन्टरनेट, पत्र, फोटोग्राफ आदि का विवरण।

8. लापता व्यक्तियों के संबंध में डाटावेस निम्न प्रारूप में तैयार किया जायेगा :–

1. कमांक
2. सूचना की तिथि।
3. लापता व्यक्ति का नाम व पता, पहचान चिन्ह, फोन, ईमेल आदि का विवरण।
4. लापता व्यक्ति के सबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, फोन, ईमेल आदि का विवरण।
5. लापता व्यक्ति से अन्तिम बार सम्पर्क का विवरण स्थान, समय, तिथि, सम्पर्क का माध्यम, फोन, ईमेल, इन्टरनेट आदि का विवरण।
7. सत्यापन का परिणाम।
8. लापता व्यक्ति को तलाशने के संबंध में किये गये प्रयास।

9. लापता व्यक्ति की जानकारी होने पर उसके मिलने की तिथि व अन्य संबंधित विवरण।

9. किसी जनपद में यदि नदी/नहर से कोई शव प्राप्त होता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा परिजन होनें का दावा नही किया गया है, तो संबंधित जिलाधिकारी ऐसे शव के फोटोग्राफ सहित अन्य उपलब्ध विवरण उक्त प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेगे।

उपरोक्त कार्य अत्यन्त सवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। इसकी संवेदनशीलता एव महत्ता को ध्यान मे रखते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(आर.एम. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या–699के(1)/छः–सानिप्र–13 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राकेश)